बहोड़ापुर सोना लूट कांड का चंद घंटों में खुलासा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 18 अप्रैल. पुलिस ने चंद घंटों में ही बढ़ी लूट की घटना का खुलासा कर दिया।अपनी ही बहन को लूटने वाले भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने लूटे गये सोने के सामान सहित व घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार कर

दिनदहाड़े लूट की वारदात निकली साजिश, भाई ने दोस्त संग रचा था षड्यंत्र

लिया है सीसीटीवी और त्वरित कार्रवाई से बहोड़ापुर पुलिस ने सनसनीखेज लूट की गुत्थी सुलझा दी। बहोड़ापुर थाना पर सूचना मिली कि बहोड़ापुर क्षेत्र में दो स्कूटी सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवती से सोने से भरा थैला छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता शेजू सिकरवार ने बताया कि वह आज दोपहर के समय ढ्ढद्धस्नरु आईआईएफएल गोल्ड बैंक में लोन के लिए अपना सोने का सामान जमा कराने जा रही थीं। इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाशों ने उसे धक्का देकर सोने से भरी थैली को लेकर भाग गये।

फरियादी लड़की से पूछताछ करती पुलिस

दिनदहाड़े लूट की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अनु बेनीवाल को थाना बहोड़ापुर पुलिस टीम बनाकर घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर और संदिग्धों को चिन्हित कर त्वरित कार्यवाही कराने के लिए निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्ण पाल सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक आलोक सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस की टीमों को उक्त घटना के सीसीटीवी फुटेज चेक करने व संदिग्धों की तस्दीक कर कार्यवाही के लिए लगाया गया। इसदौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर स्कूटी सवार दोनों नकाबपोश बदमाशों का चिन्हित किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लूट के प्रकरण में सबसे पहले फरियादिया युवती के भाई को अभिरक्षा में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपने दोस्त के साथ उक्त लूट की घटना करना बताया। इसके बाद पुलिस द्वारा इस लूट की घटना में दूसरे आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया गया। पकड़े गये दोनों आरोपी विधि विरूद्ध बालक (बाल अपचारी) होना पाये गये।

थाना बहोड़ापुर पुलिस द्वारा पकड़े गये दोनों बाल अपचारियों की निशादेही पर लूटा गया थैला जिसमें रखा हुआ सोने का सामान जप्त किया गया तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी जप्त की गई। पुलिस द्वारा जब स्कूटी की चेकिंग की तो सभी चौंक गये क्योंकि स्कूटी की डिग्गी में महिला के दो जोड़ी कपड़े मिले, इस संबंध में दोनों बाल अपचारियों से पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि वह महिला के कपड़े पहनकर घटना करने वाले थे परन्तु समय न मिलने के कारण महिला के दो जोड़ी कपड़े स्कूटी की डिग्गी में रख दिये थे।

ऊर्जा मंत्री ने जनसुनवाई में किया जन समस्याओं का निराकरण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 18 अप्रैल. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को अपने रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी कार्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हर जरुरतमंद के चेहरे पर खुशहाली लाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आव्हान किया कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे और एक नया स्वस्थ, हरा-भरा, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए साथ मिलकर अपना सहयोग देना होगा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, नगर निगम, विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर आवेदक की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

शासकीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण

ग्वालियर 18 अप्रैल. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को तानसेन नगर स्थित शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा की और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं और विद्यालयीन स्टाफ के सम्बन्ध में जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से चर्चा की। साथ ही छात्रों से पढ़ाई के बारे में पूछा। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने विद्यालय के प्राचार्य को निर्देश दिए कि वह पढ़ाई के साथ-साथ स्वच्छता के प्रति छात्रों में जागरूकता लाएं।

इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात उपस्थित प्राचार्य तथा अन्य सहकर्मियों से कही।

प्लानर सहित 7 अधिकारियों को नोटिस, 4 इंजीनियरों के वेतन आहरण पर रोक

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 18 अप्रैल. नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा अधिकारियों को सौंप गए कार्य में

कार्य में लापरवाही बरती

लापरवाही बरतने पर सिटी प्लानर सहित 7 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया तथा 4 इंजीनियरों के वेतन आहरण पर रोक लगाई है।

नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार सिटी प्लानर श्री महेंद्र अग्रवाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर, सहायक यंत्री श्री अशोक गुप्ता, क्षेत्राधिकारी श्री अनिल श्रीवास्तव, उप यंत्री श्रीराम सेवक शाक्य, क्षेत्राधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह तोमर, क्षेत्राधिकारी श्री अमित साहू एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री उमेश गुप्ता द्वारा सौंपे गए कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया। इसके साथ ही उपयंत्री श्री मनीष यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सौंपे गए कार्य को ठीक से नहीं करने पर आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाई है।

इसके साथ ही उपयंत्री जल प्रदाय श्री राम सेवक शाक्य ,श्री संदीप श्रीवास्तव एवं श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन के निराकरण का कार्य जिम्मेदारी से नहीं करने पर आगामी आदेश तक वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर को पत्र लिखा।

उपयंत्री रजनीश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता को लिखा पत्र

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा उपयंत्री श्री रजनीश गुप्ता को अपने कार्य में लापरवाही करने पर दिनांक 12 मार्च 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। श्री गुप्ता द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्टीकरण संतोषजनक न देने पर निगम आयुक्त ने मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर पर क्षेत्र को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा।

शासकीय पहाड़ियों पर अतिक्रमण रोकने हेतु प्रदीप तोमर नोडल अपर आयुक्त नियुक्त

ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में शासकीय पहाड़ियों पर अतिक्रमण रोकने एवं उन्हें अर्बन फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने हेतु नगर निगम ग्वालियर की ओर से श्री प्रदीप तोमर को नोडल अपर आयुक्त नियुक्त किया है। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने कार्य सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से अपर आयुक्त श्री प्रदीप तोमर को जलकर वसूली का दायित्व सौंपा है।

समय पर कार्यालय उपस्थित न होने पर दो कर्मचारियों का काटा एक दिवस का वेतन, लापरवाही पर काटा 7 दिवस का वेतन

नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:30 बजे निगम मुख्यालय स्थित जनकार्य विभाग का औचक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान विनियमित कर्मचारी श्री भवानी शंकर एवं श्री आदित्य चौहान बिना किसी सूचना के कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिसके चलते उसे दोनों कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री दीपांशु करोसिया द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत अटेंड नहीं करने पर सात दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए।

कृष्ण रुक्मणी का हुआ विवाह, फूलों की होली खेली गई

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 18 अप्रैल. दौलतगंज स्थित राजा बाक्षर मंदिर पर चल रहे उर्स शताब्दी समारोह द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन प्रसिद्ध कथा वाचक हरिओम जी महाराज ने कहा की पूर्व जन्म में सुखदेव जी तोता थे एवं भागवत में श्री राधा जी का नाम कहीं नहीं आता क्योंकि सुखदेव की गुरु राधा ही हैं । उन्होंने कहा की रासलीला कम विजय की लीला है भगवान श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन में गोपियों के साथ महा रास काम को जीतकर भक्ति में बदलने का संकेत देता है। उन्होंने कहा सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ने ब्रज में अनेकानेक बाल लीलाएं की जो वात्सल्य भाव के उपासकों के चित्त को अनायास ही आकर्षित करती है। जो भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं वही श्री हरि है। उन्होंने कहा की महारास में पांच अध्याय हैं उनमें गए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच पुराण है महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान कंस वध महर्षि सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना उद्धव गोपी संवाद द्वारका की स्थापना रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण चित्रण किया। भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सबका मन मोह लिया भगवान कृष्ण की बारात बैंड बाजों एवं आतिशबाजी के साथ निकाली गई। कृष्ण रुक्मणी विवाह पर फूलों की होली भी खेली गई।

CHANGE OF DATE OF BIRTH

I, SARODHANI SOREN is legally mother of No. 4292665W Rank-NK Name-NARESH TUDU presently residing at Vill-Rajbandh, PO- Rajbandh, PS- Dumka Mufisil, Dist-Dumka, State- Jharkhand, PIN No-814158 have changed my **Date of birth** from **01 January 1963** to **02 June 1963** vide Affidavit No. BX 717847 dated 15.04.2026 before District Court Gwalior

आम सूचना

श्री विशाल बाथम पुत्र श्री पूरन सिंह बाथम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल भवन क्र. 2630, स्थित नदी पार टाल, ग्राम मुरार, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 23 में स्थित है जिसका सम्पत्ति क्र.1000261150 है एवं जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-सम्पत्ति श्री गरम सिंह, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-सम्पत्ति श्री विशम्भर एवं दक्षिण में श्री दौजीराम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती विट्ठन बाई पत्नी श्री गुजराज सिंह कुशवाह एवं श्री राधेश्याम पुत्र श्री सोहालाल मिश्रा के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती विट्ठन बाई जये मुख्त्यारआम श्री जुगराज सिंह पुत्र श्री महेलाश सिंह ठाकुर, श्री राधेश्याम द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री पूरन पुत्र श्री जगन्नाथ को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4224 दिनांक 24.09.1981 से विक्रय की गई। श्री पूरन का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री विशाल बाथम पुत्र श्री पूरन सिंह बाथम उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री विशाल बाथम द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री पूरन के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 5 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - भवन क्र.52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास,सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.),मो.नं.98276-72710

क्राइम ब्रांच और जनकगंज पुलिस ने कार सवार 5 स्मैक तस्करों को दबोचा

ग्वालियर 7 18 अप्रैल. क्राइम ब्रांच और थाना जनकगंज पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही करते हुए जयपुर के 5 शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक और तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की गई है।

चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पकड़ा थाना प्रभारी जनकगंज निरी. अतुल सोलंकी व क्राइम ब्रांच प्रभारी निरी. अमित शर्मा की संयुक्त टीम ने चकलेश्वर मंदिर के पास तिघरा रोड पर घेराबंदी की।

चेकिंग के दौरान गोलपहाड़िया की ओर से आ रही एक सिल्वर रंग की मारूति स्विफ्ट कार पुलिस को देखकर पीछे मुड़ने का प्रयास करने लगी। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार को चारों तरफ से घेरकर रोक लिया।

कार के डैशबोर्ड में छिपाई थी स्मैक

पुलिस ने जब कार की सघन तलाशी ली, तो डैशबोर्ड की डिग्गी में डबल प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने इसे स्मैक होना स्वीकार किया। 35 .42 ग्राम कीमत लगभग 1 लाख रुपये स्मैक बरामद की।

जयपुर के रहने वाले हैं सभी तस्कर

पकड़े गए सभी आरोपी उमेश कानव 21 वर्ष,प्रवीण कुमार कानव 22 वर्ष,आर्यन वर्मा 19 वर्ष, ?कृष्णा सेनी 19 वर्ष, शादव खान 19 वर्ष, विद्याधर नगर, जयपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार तस्करों के नाम इस प्रकार हैं। जनकगंज पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे स्मैक कहां से लाए थे और ग्वालियर में किसे सप्लाई करने वाले थे। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों के खुलासे की भी संभावना है।

कार्यालय अधीक्षक सब जेल करैरा शिवपुरी म .प्र .

निविदा क्रमांक / 02/ निर्वाह /2026 / करैरा — दिनांक 15-04-2026

वार्षिक ई - निविदा (द्वितीय) आमंत्रण सूचना
वार्षिक ठेका वर्ष - 2026-2027

मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम- 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सब जेल करैरा में परिरुद्ध बंदियों के लिऐ खाद्यान्न, सब्जियां, फल, अण्डे, दवाई, स्वच्छता सामग्री, विद्युत एवं भवन अनुरक्षण तथा अन्य आवश्यक सामग्रीयों क्रय हेतु वार्षिक निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति (Online System) के माध्यम से खण्डानुसार सामग्रियों की पूर्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा की जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी निविदा कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विवरण	दिनांक/समय	स्थान
1.	निविदा फार्म क्रय करने की प्रारंभिक तिथि (निविदा फार्म का भूल्य 05 लाख रु . तक रुपये 500/- एवं 05 से अधिक रुपये 1000/- प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलों 800 अन्य प्राप्तियों में जमा करना होगा।)	दिनांक 16 .04 .2026 समय दोपहर 12 :00 बजे	वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2.	प्रीबिड मीटिंग की तिथि	दिनांक 30 .04 .2026 समय दोपहर 01 :00 बजे	वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
3.	निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 .05 .2026 समय सायंकाल 05 : 30 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी
4.	नमूना जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 .05 .2026 समय सायंकाल 05 : 30 बजे तक	अधीक्षक सब जेल करैरा
5.	नमूना गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकि निविदा (आवश्यक दस्तावेज) खोलने की तिथि	दिनांक 12 .05 .2026 दोपहर 12 :00 बजे	अधीक्षक सब जेल करैरा
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 14 .05 .2026 समय दोपहर 12 :00 बजे तक	अधीक्षक सब जेल करैरा

सब जेल करैरा हेतु क्रय करने वाली सामग्री का खण्डवार विवरण

क्र.	क्रय करने वाली सामग्री का विवरण	खण्ड क्रमांक	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ऑनलाईन टेंडर नंबर	निविदा हेतु समायावधि
1.	खाद्यान्न सामग्री	01	38,00,000	1,14,000	1000	---	दिनांक
2.	सब्जी एवं फल	02	6,00,000	18,000	1000	------	30 .06 .2027
3.	दवाईयां	03	2,50,000	75,00	500		अथवा अगले
4.	स्वच्छता एवं अन्य सामग्री	04	10,00,000	30,000	1000		वर्ष का ठेका
5.	विद्युत एवं भवन अनुरक्षण तथा अन्य आवश्यक सामग्री	05	4,00,000	12,000	500		स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेगा।

नोट :- ई - निविदा फार्म वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकेगें। ई निविदा या उससे समस्त जानकारी ऊपर दर्शित वेबसाईट पर देखें। सब जेल की ई निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक सब जेल कौरा द्वारा की जावेगी। निविदा में किया गया कोई भी संशोधन www.mptenders.gov.in पर की किया जावेगा, प्रथम से कोई भी संशोधन समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

अधीक्षक
सब जेल करैरा
जिला शिवपुरी म.प्र.

G-11717/26

न्यायालय - प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक: 627/2021 एम.जे.सी.आर.

श्रीमती मंजू शर्मा...... आवेदिका
बनाम
मनोज शर्मा .... अनावेदक

// सूचना-पत्र //

बनाम:- अनावेदक मनोज शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मनारायण शर्मा आयु-41वर्ष, निवासी- बी/58, प्रगति बिहार कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

// सूचना-पत्र //

यहकि, आवेदिका **श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री मनोज शर्मा पुत्री श्री उमाशंकर शर्मा आयु-39 वर्ष, निवासी-बी/58 प्रगति बिहार कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) हाल निवासी - आदर्श कॉलोनी, अंबिका स्कूल के पास, पिंटो पार्क, ग्वालियर (म.प्र.) के द्वारा आपके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष याचिका अंतर्गत धारा 125 दं. प्र.सं. के तहत् प्रस्तुत की गई हैं।** अतः जरिये सूचना-पत्र से आप अनावेदक **मनोज शर्मा** को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना जबाव इस न्यायालय से नियत पेशी दिनांक 18.05. 2026 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता है अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी। अतः दिनांक **17 अप्रैल 2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(श्री ए.के. मिश्रा)
प्रधान के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.)

आम सूचना संबंध विच्छेद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण कमलेश कुमार त्रिवेदी पुत्र स्व. श्री विशंभर दयाल त्रिवेदी एवं श्रीमती चंद्रकला त्रिवेदी पत्नी श्री कमलेश कुमार त्रिवेदी निवासीगण लखेरा गली बाबा कपूर ग्वालियर में निवास करते है। मेरे पक्षकार का छोटा पुत्र अमित त्रिवेदी ने मेरे पक्षकारगण की इजाजत के बिना प्रेम विवाह किया था और अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी विगत 9 वर्षो से भोपाल म.प्र. में मेरे पक्षकारगण से पृथक निवास कर रहे है और अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी मेरे पक्षकारगण से कोई मतलब नही रखते है और मेरे पक्षकारगण का पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी आये दिन मेरे पक्षकारगण को गाली गलोच देकर प्रताड़ित करते रहते है और मेरे पक्षकारगण का पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी आये दिन मेरे पक्षकारगण को झूठे केस में फसाने की धमकी देते रहते है और उनका आचरण मेरे पक्षकारगण के प्रति ठीक नही है और अब मेरे पक्षकारगण भी अपने पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी से भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखना नही चाहते है, इस कारण इस सूचना द्वारा लिखित रूप में प्रकाशन कराकर हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण अपने छोटे पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी से समस्त संबंध विच्छेद करते है एवं अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है तथा कोई भी व्यक्ति या बैंक या संस्था मेरे पक्षकारगण के पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार या लेन देन करते हैं या इससे पूर्व किया हो या मेरे पक्षकार का पुत्र अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी अन्य कोई गलत कृत्य करते हैं तो उसके लिये मेरे पक्षकारगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा जिससे उत्पन्न परिणामों के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अब मेरे पक्षकारगण एवं उसका संपूर्ण परिवार अमित त्रिवेदी एवं उसकी पत्नी श्रीमती रानी से समस्त संबंध विच्छेद करते हैं।

भवदीय: **एच.ओ. अग्रवाल (LL.B.)**
लवीराज अग्रवाल (LL.M.) एडवोकेट्स
हरि कुटिया, लोहामण्डी, ग्वालियर, मो. 9893304349, 9926663402

युवक की सड़ी हुई मिली लाश, दुर्गंध आने पर लगा पता

ग्वालियर 18 अप्रैल. किराए से रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसका शव सड़ी - गली हालत में उसके रूम के भीतर ही पड़ा मिला है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र की है, जिसमें दुर्गंध आने पर मकान मालिक द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम करवाने के उपरांत मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है। झांसी रोड थाने में ओफो की बगिया निवासी आजाद खान ने सूचना दी, कि उसके घर के पास स्थित टीनशैड में से काफी तेज दुर्गंध आ रही है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने भीतर पहुंचकर देखा, तो एक युवक का सड़ा- गला शव वहां पड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े पड़ गए थे.

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. 404 का भाग, स्थान: 302, विहर्ष अपार्टमेंट फेस-2 बावन पायगा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती सुनीता जैन, सुनीता जैन / श्री राजकुमार जैन, श्रीमती दिव्या जैन / श्री राजीव जैन के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1003005740 का भाग पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 843 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1910053 दिनांक 16.07.2024 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16पर दिनांक 17.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/38980/61169/ प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
दीपक कृष्णराव गलगले / स्व. श्री कृष्णराव भास्कर राव गलगले
पता: 302, विहर्ष अपार्टमेंट फेस-2 बावन पायगा, वार्ड-35
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 18-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि छत्रपाल सिंह/नन्दराम कुशवाह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1004571321 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/मृत्युउपरान्त दिनांक 09.01.1998 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्र 24, पर दिनांक को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
आदित्य सिंह भदौरिया,रविन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभात सिंह,भूपेन्द्र सिंह भदौरिया/स्व. मुखत्यार सिंह भदौरिया
पता-अजयपुर ग्वा0 (म.प्र.) मो0-7987192845
विज्ञप्ति जारी दिनांक-18.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान वीरपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि भीकम सिंह/सोहावत सिंह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 9000218115 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12055254 दिनांक 13.12.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्र 24, पर दिनांक 18.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
डॉली बाथम/ओमप्रकाश बाथम
पता-वीरपुर ग्वा0 (म.प्र.) मो0-9893935067
विज्ञप्ति जारी दिनांक-18.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 03, वार्ड क्रं 07,स्थान अर्नव ग्रीन सिटी,जगनापुरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि अवन्तिका ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर द्वारा अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 9000222759 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602024ए11039294 दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा क्षे.क्र 03, पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 75/2011/55210/55131 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
बच्चन सिंह यादव/स्व. गिरवर सिंह
पता-अर्नव ग्रीन सिटी ग्वा0 (म.प्र.)
मो0-9425755429
विज्ञप्ति जारी दिनांक-18.04.2026

परिशिष्ट बी- संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय गुना
प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना

एमएससी/87/2025
अशोक कुशवाह बनाम लक्ष्मण किरार आदि
NEXT DATE: 15-05-2026
समेकित प्रकरण क्रं. एमएससी/88से90/25

प्रेषिती-
राजेश गिरी
पता - ग्राम अखाडा खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0

यह कि प्रार्थी अशोक कुशवाह ने आपके विरुद्ध एमएससी/87/2025 के लिए बाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर बाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके।

आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन मुजरा के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें।

यह आज तारीख 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(अभिताभ मिश्र)
सदस्य न्यायाधीश
प्रधान जिला न्यायाधीश

टिप्पणी:-
अधिक जानकारी वेबसाइट ecourts.gov.in अथवा मोबाइल एप. eCourts Services (Android or iOS) से प्राप्त की जा सकती है ।
कृपया ध्यान दें:-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

उत्तर मध्य रेलवे

L.No. JHS-ELG-W-T-03-2026-27 — Date : 13.04.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरि. मंडल विद्युत अभियन्ता (सामान्य), उत्तर मध्य रेल, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं : झाँसी-ईएलजी-डब्ल्यू-टी-03-2026-27	**निविदा राशि : रू. 70,42,266/- मात्र**
कार्य का विवरण : विद्युत/जी कार्य : ग्वालियर में न्यू ताज पिटलाइन पर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन ।	
बयाना राशि : रू. 1,40,900/- मात्र	**कार्य समापन अवधि : 06 माह**
निविदा बंद होने की तिथि : 05.05.2026 (15:00 बजे तक)	

निविदाकार निविदा **दिनांक 05.05.2026 को 15:00 बजे** तक आनलाईन जमा कर सकेगें। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के बेवसाईट http://www.ireps.gov.in पर देखें। 842/26 (C)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR